न्यायालय सहायक कलक्टर, डीडवाना

पीठासीन अधिकारी:– **श्री कार्तिकेय मीणा, R.A.S.**

राजस्व वाद संख्या: 195/2022 दायर दिनाँक 27.05.2022

वादी

1. जुबैदा बानू पत्नि बाबु स्या जाति साई निवासी साईयों का मोहल्ल धनकोली,, तहसील डीडवाना जिला नागौर राज0।

बनाम्

प्रतिवादीगण

1. तहसीलदार डीडवाना।

दावा बाबत्

घोषणा खातेदारी, बंटवारा, व स्थाई निषेधाज्ञा

अन्तर्गत धारा–53, 88, 188 R.T.Act.

उपस्थित:–

1. श्री केशव औझा वकील वादी।

–:: निर्णय ::–

दिनाँक 23.06.2022

वाद के तथ्य संक्षेप्त में इस प्रकार है कि मौजा धनकोली पटवार हल्का धनकोली, भू–अभिलेख नि0 धनकोली तहसील डीडवाना जिला नागौर राज0 में राजस्व भूमि जिसके खसरा सं0 1128 रकबा 1.0700 हैक्टे0 बारानी 2, खसरा सं0 1129 रकबा 0.0700 हैक्टे0 गै0 मु0 ढ़ाणी, खसरा सं0 1130 रकबा 0.2600 बारानी 2, खसरा सं0 1131 रकबा 0.9900 हैक्टे0, खसरा सं0 1132 रकबा 0.1600 हैक्टे0 बारानी 2, खसरा सं0 1221/1669 रकबा 0.0100 हैक्टे0 बारानी 1, खसरा सं0 401/1516 रकबा 0.0600 हैक्टे0 गै0 मु0 रास्ता, खसरा सं0 945/1660 रकबा 0.0100 हैक्टे0 बारानी 1 कुल खसरे 9 कुल रकबा 4.2400 हैक्टे0 बने है, जिनके पुराने खसरा सं0 709 रकबा 17 बीघा 09 बिस्वा, खसरा सं0 710 रकबा 6 बीघा 12 बिस्वा, खसरा सं0 711 रकबा 7 बीघा 02 बिस्वा, खसरा सं0 712 रकबा 01 बीघा 12 बिस्वा, खसरा सं0 713 रकबा 0.09 बीघा, खसरा सं0 714 रकबा 09 बीघा 14 बिस्वा है। जो तथ्य सम्वत् 2006 से 2076 की जमाबन्दी में स्पष्ट है।

यह है कि राजस्व काश्तकारी अधिनियम 1955 के प्रभाव में आने से पूर्व से ही उपरोक्त वर्णित भूमियों में से खसरा सं0 1130 रकबा 0.2600 हैक्टै0 बारानी 2 पर वास्तविक एवं भौतिक कब्जा काश्त वादीया के पूर्वजों की पैत्रिक बेली पुत्र नवा, दुदीया पुत्र अलीयो कौम सांई की रही है। उनके स्वर्गवास के पश्चात गुलाम पुत्र दीना सांई की रही है, उनके स्वर्गवास के पश्चात अब उक्त सम्पूर्ण भूमि पर वास्तविक एवं भौतिक कब्जा काश्त वादीया का ही है।

यह है कि राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 का प्रभाव सम्वत् 2012 में हुआ। उक्त सुसंगत समय से पूर्व भी उक्त भूमियों पर वादीया के पूर्वजों बेली पुत्र नवा, दुदीया पुत्र अलीयों कौम साई की रही है। उनके स्वर्गवास के पश्चात वादीया की पैत्रिक व कब्जा काश्त की ही रही है। राजस्व रेकॉर्ड के अनुसार भी उक्त कब्जा काश्त वादीया का है।

प्रार्थना वादी इस प्रकार है :–

यह है कि मौजा धनकोली पटवार हल्का धनकोली, भू–अभिलेख नि0 धनकोली तहसील [illegible] जिला नागौर राज0 में राजस्व भूमि खसरा सं0 1130 रकबा 0.2600 हैक्टे0 बारानी [illegible] या की कदीमी समय से पैत्रिक कब्जा काश्त की [illegible] सं0 1130 रकबा 0.2600 हैक्टे0 बारानी 2 की भूमि को राजस्व [illegible] वादीया के पक्ष में डिक्री जारी करने की कृपा करावें।

Signature Not Verified
Digitally signed by Kartikeya Meena
Date: 2022.10.14 13:36:35 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलेक्टर
डीडवाना (नागौर)

Scanned with OKEN Scanner

वादीनी का वाद दर्ज रजिस्टर किया गया। प्रतिवादी सं0 01 को जरिये समन तलब किया। बावजुद तामिल के अनुपस्थित। अतः इनके खिलाफ एक पक्षिय कार्यवाही अमल में लाई जाती है।

पत्रावली पर उपलब्ध रिकॉर्ड का अवलोकन किया गया। तत्सम्बन्धी विधि का अध्ययन् किया। अतः, बाद विवेचन, वाद वादीनी डिक्री सादिर किया जाता है।

—:आदेश :—

अतः हस्व दावा डिक्री सादिर कर, मौजा धनकोली पटवार हल्का धनकोली, भू–अभिलेख नि0 धनकोली तहसील डीडवाना जिला नागौर राज0 में राजस्व भूमि खसरा सं0 1130 रकबा 0.2600 हैक्टे0 भूमि में वर्तमान खातेदारी के स्थान पर वादीया के नाम खातेदारी घोषित की जाती है।

तद्नुसार राजस्व रिकॉर्ड दुरस्त हो। डिक्री जारी हो।

(कार्तिकेय मीणा)
R.A.S.
सहायक कलक्टर
डीडवाना

सहायक कलक्टर
डीडवाना (नागौर)

निर्णय आज दिनाँक **23.06.2022** को सरे इजलास में सुनाया गया।

(कार्तिकेय मीणा)
R.A.S.
सहायक कलक्टर
डीडवाना

सहायक कलक्टर
डीडवाना (नागौर)

Signature Not Verified

Digitally signed by Kartikeya Meena
Date: 2022.10.14 13:36:35 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with OKEN Scanner

डिक्री बमुकद्दमें इब्तदाई
(आर्डर 20, रूल 6, 7 जाब्ता दीवानी)
अज अदालतः– सहायक कलक्टर, डीडवाना
बइजलास : **श्री कार्तिकेय मीणा, R.A.S.**

राजस्व वाद संख्याः 195/2022 दायर दिनाँक 27.05.2022

वादी

1. जुबैदा बानू पत्नि बाबु स्या जाति साई निवासी साईयों का मोहल्ल धनकोली,, तहसील डीडवाना जिला नागौर राज0।

बनाम्

प्रतिवादीगण

1. तहसीलदार डीडवाना।

दावा बाबत्
घोषणा खातेदारी, बंटवारा एवं स्थाई निषेधाज्ञा
अन्तर्गत धारा 53, 88, 188 R.T. Act.

दिनाँक 23.06.2022

यह मुकद्दमा आज वास्ते इनफिसाल कतई रूबरू हमारे व हाजरी मिनजानिब मुद्दई श्री केशव औझा वकील वादी की और से मद्दायलह पेश होकर हुक्म दिया जाता है कि, हस्व दावा डिक्री सादिर कर, मौजा धनकोली पटवार हल्का धनकोली, भू–अभिलेख नि0 धनकोली तहसील डीडवाना जिला नागौर राज0 में राजस्व भूमि खसरा सं0 1130 रकबा 0.2600 हैक्टे0 भूमि में वर्तमान खातेदारी के स्थान पर वादीया के नाम खातेदारी घोषित की जाती है।

तद्नुसार राजस्व रिकॉर्ड दुरस्त हो। डिक्री जारी हो।

नीज...........–........... मुबलिंग.............–................ बाबत......................–.....................खर्चा इस मुकद्दमें के मय सूद व शरह..........–.......... आज की तारीख को अदा करें। बसब्त मेरे दस्तख्त व मुहर अदालत के आज की तारीख 23.06.2022 को सरे इजलास में जारी की गयी।

सहायक कलक्टर
डीडवाना

सहायक कलक्टर
डीडवाना (नागौर)

मुद्दई	रूपया	पैसे	मुदायलह	रूपया	पैसे
स्टाम्प अर्जीदावा स्टाम्प वकालतनामा स्टाम्प वजह सबूत महनताना वकील खर्चा गवाहान फिस कमिश्नर बाबत इजराय हुक्मनामा मुतफर्रिक	 – –		स्टाम्प वकालतनामा स्टाम्प अर्जी महनताना वकील खर्चा गवाहान फिस कमिश्नर बाबत इजराय हुक्मनामा मुतफर्रिक		
मिजान			मिजान		

नोटः–इस खर्च के फार्म पर कुल खर्चा हर दो फरीकान का चाहे डिग्री के जरिये दिलाया गया हो या नही दर्ज करना चाहिए।

Signature Not Verified
Digitally signed by Kartikeya Meena
Date: 2022.10.14 13:36:35 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलक्टर
डीडवाना

सहायक कलक्टर
डीडवाना (नागौर)

Scanned with OKEN Scanner